

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर।


प्रशासनिक आदेश संख्या - //5 / 2021

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-2009/LXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 18 August, 2021 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-1416/2021-सीएक्स-3 दिनांकित 11.08.2021 के पैरा-18 में दिये गये दिशानिर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated:22-04-2021 के पैरा-3 तथा पत्रांक-1983/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated:20-07-2021 दिशानिर्देशों को वापस ले लिया गया है।

राज्य सरकार के पत्र संख्या-1416/2021-सीएक्स-3 दिनांकित 11.08.2021 के द्वारा निर्गत नवीन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक ( रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) कोविड नियमों की शर्तों के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।


प्रत्येक कार्य दिवस में किये गये कार्यों की रिपोर्ट कार्यालय CPC माननीय उच्च न्यायालय को प्रति दिन प्रेषित की जायेगी।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

  
19/8/21  
प्रधान न्यायाधीश  
कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
- 2- जिलाधिकारी, अमेठी।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
- 4- पुलिस अधीक्षक, अमेठी।
- 5- जेल अधीक्षक, सुलतानपुर।
- 6- समस्त न्यायिक अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय,
- 7- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर।
- 8- बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
- 9- बार एसोसिएशन कादीपुर।
- 10- बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
- 11- जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
- 12- सिस्टम आफिसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13- मुन्सरिम केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
19/8/21  
प्रधान न्यायाधीश  
कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर।